

नम्बर
अहका
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

संख्या :- 19/2021 510पत्र

राजा सिंगेवा बलडा वि०भाग- बलडा

प्रार्थी.....

बनाम

राजा सि० लालू लुहार वि०भाग- बलडा - करेड़ा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत वेदन किया कि ग्राम सिंगेवा पटवार हल्का सिंगेवा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या ²⁰⁷ आराजी नम्बर 1270/1 1274 1275 1277 1279/1
0-1800 / 0-1700 / 0-0300 / 0-1400 / 1-0700 /

कुल किता 5 रकबा 3.19 बीघा

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने। दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/01/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को न्यार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते गिर्क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिंगेवा पटवार हल्का सिंगेवा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 1270/1 1274 1275 1277 1279/1
0-1800 / 0-1700 / 0-0300 / 0-1400 / 1-0700 /

कुल किता 5 रकबा 3.19 बीघा

द्वारों भूमि के द्वारा तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-निरीक्षक करेड़ा को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर डी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाडा



:- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाडा